न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— नलिनी कठोतिया, आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 122/2022 (GCMS No. 2022/126) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. जगवीर सिंह पुत्र श्री जोरमल
2. तेजवीर सिंह पुत्र राजवीर
3. रोहताश पुत्र राजवीर

जाति जाट निवासी ग्राम —तुहिया तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....अपीलांटान

बनाम

1. दीवान सिंह पुत्र मंगल
2. मानसिंह पुत्र मंगल
3. गजन सिंह पुत्र मंगल
4. पीतम सिंह पुत्र मंगल
5. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मंगल
6. हरेन्द्र सिंह पुत्र मंगल

जातियान जाट निवासीयान— ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

7. तहसीलदार तहसील भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट

8. रामवीर सिंह पुत्र श्री जोरमल जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....तरतीवी रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 27/2022 उनवान दीवान सिंह वगै. बनाम तहसीलदार भरतपुर।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री गोबिन्दसिंह डागुर, वकील।
2. रेस्पोंडेन्टस की ओर से श्री प्रमोद कुमार उपमन, वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 10.02.2026**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 11.10.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 6 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहां धारा 136 एलआरएक्ट पेश किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1257 रकवा 16 विस्वा जिसे बन्दोवस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 1730/0.11 निर्मित किया है उनके बाबा रामस्वरूप तत्पश्चात पिता मंगल खुदकाश्त के खातेदार कृषक रहे हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलत प्रकार से आराजी पर इन्द्राज सामलिया व हरजीवन का कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के उनके नाम दर्ज कर दिये और वर्तमान में भी इनके इन्द्राज राजस्व अभिलेख में चले आ रहे हैं। इसलिए ख.नं. 1730 पर वर्तमान इन्द्राजों की दुरूस्ती प्रार्थीगण करा पाने के अधिकारी हैं। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर हाल आराजी खसरा नम्बर 1730 रकवा 0.11 हैक्टे. ग्राम तुहिया पर रेस्पोडेन्टान के नाम वहिस्सा बराबर के इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगा. 6 की ओर से श्री प्रमोद कुमार उपमन एडवोकेट उपस्थित। अन्य रेस्पो. अनुपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलांट ने सर्वप्राथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर कथन किया अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जबकि हाल आराजी खसरा नम्बर 1730/0.11 हैक्टे. वाके ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर पर इन्द्राज खातेदारी के अपीलांटान एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट के हैं। इसलिए अपीलांटान स्पष्ट तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार है व अपीलांटान के हक व हकूकों पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। असलिए अपीलांटान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.10.2022 से एग्रीव्ड होने से अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांटान स्वीकार किया जाकर प्रभावित पक्षकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री दिनांक 11.10.2022 के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का निर्णय दिनांक 11.10.2022 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से काबिल निरस्तनीय है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1730/0.11 वाके ग्राम तुहिया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलांटान एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी के इन्द्राज हैं। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटान एवं तरतीवी रेस्पोंडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न उनको सुनवाई का मौका दिया गया क्योंकि वर्तमान रिकार्ड में अपीलांटान के नाम खातेदारी इन्द्राज प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की सम्पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। बन्दोवस्त विभाग की गलती बन्दोवस्त होने के समय किसी भी दस्तावेज से पुष्टि नहीं होती है और बन्दोवस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 1257 का हाल खसरा नम्बर 1730 बनाया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मैन्टेनेविल नहीं था। बन्दोवस्त विभाग की गलती पर ही धारा 136 एलआरएक्ट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य होता है। रेस्पोडेन्टान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में अंकित किया के संवत् 1986 में साविक खसरा नम्बर पर इन्द्राज सामलिया व हरजीवन के गौर मौरूसी के दर्ज कर दिये गये जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत दर्ज किये है तो ऐसी स्थिति में इन्द्राज शुरू से ही गलत बताया है तो बन्दोवस्त विभाग के द्वारा क्या गलती की है। इस प्रकार के इन्द्राजों को दुरूस्त करने की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा के माध्यम से हो सकती है। साविक खसरा नम्बर 1257 पर इन्द्राज रेस्पोडेन्टान के पूर्वज रामस्वरूप व मंगल के कभी नहीं रहे। मौखिक आधार पर कब्जा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। खातेदारी अधिकार टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रावधानों के तहत ही प्रदान की जा सकती है न कि भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी प्रदान कर अपीलांटान का नाम खातेदारी में से कलमजन करने में अहम कानूनी गलती की है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में यह है कि भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें। जहां खातेदारान के हित प्रभावित होने लगे वहां इस समरी प्रोसीडिंग्स के जरिये अनुतोष संभव नहीं है। उन्हें समस्त सही तथ्यों के सांथ प्रभावित पक्षों को प्रतिवादी बनाते हुये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 11.10.2022 निरस्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2014(2) पेज 1111, आरबीजे 20185 पेज 40, आरबीजे 2015 पेज 256 (एस.सी), आरबीजे 2023 पेज 505, आरआरटी 2015 पेज 10 (एस.सी), आरआरटी 2009 पेज 1018 पेश किये।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील रेस्पोंडेन्टस द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 1730/0.11 पर 1986 से ही ताहाल अप्रार्थीगण व उनके पूर्वज काबिज है। संवत् 1986 में अप्रार्थीगण के पूर्वज रामस्वरूप तथा उनके बाद

अप्रार्थीगण के पिता मंगल तथा उनके बाद अप्रार्थीगण खुदकाश्त के रूप में काबिज हैं। रामस्वरूप द्वारा संवत् 1986 में आराजी को रहन रख लिया था और खुदकाश्त होकर काश्त करने लगे। तत्पश्चात आराजी को प्रार्थीगण ने विरासत के आधार पर प्राप्त कर लिया और वर्तमान में आराजी पर काबिज हैं। राजस्व कर्मचारियों ने गलत प्रकार से आराजी पर इन्द्राज सामलिया व हरजीवन के गैर मौरूसी के संवत् 1986 में दर्ज दिये। संवत् 1990 में उक्त आराजी पर सामलिया व हरजीवन के गैर मौरूसी के इन्द्राजों के साथ वकाश्त मूला वल्द कन्हैया साकिन देह सिकमी के इन्द्राज भूलवश लिपिकीय त्रुटि से कर दिये गये जबकि सामलिया व हरजीवन का तथा मूला का आराजी से कोई संबंध नहीं है। इससे यह साबित है कि सामलिया व हरजीवन का कोई कब्जा आराजी पर नहीं रहा। संवत् 2011 से 2014 में भूलवश राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के इनके नाम आराजी पर दर्ज कर दिये। इस कारण वर्तमान में भी इनके इन्द्राज लगातार राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2071–75 मिलान क्षेत्रफल जमाबंदी रियासकालीन 1986, 1990 एवं जमाबंदी संवत् 2010–2014 पेश की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरबीजे 1996 पेज 8, आरबीजे 2002 पेज 132, आरबीजे 2002 पेज 334, आरआरडी 1991 पेज 274 एवं आरआरटी 2022(1) पेज 114, आरबीजे 2018 पेज 579 पेश किये।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही के अन्तर्गत रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्ब र 1730/0.11 पर हो रहे वर्तमान इन्द्राज निरस्त कर उक्त आराजी पर रेस्पो. के नाम वहिस्सा बराबर के इन्द्राज दर्ज करने के अपीलांट को बगैर सुने आदेश दिये गये हैं। जबकि जमाबंदी संवत् 2071–74 में अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हैं। अर्थात धारा 136 एलआरएक्ट की कार्यवाही के अन्तर्गत वर्मतान खातेदार/अपीलांट के खातेदारी अधिकारों के संबंध में निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। जबकि राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ....." भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हें शुद्व करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें....." जहां खातेदारान के हित प्रभावित होने लगे वहां इस समरी प्रोसीडिंग्स के जरिये अनुतोष संभव नहीं है। उन्हें समस्त

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सही तथ्यों के साथ प्रभावित पक्षों को प्रतिवादी बनाते हुये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए। वकील अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2023 आरबीजे पेज 505 पेश किया जिसमें यह सिद्वांत प्रतिपादित किये गये हैं कि धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं क्योंकि जब दो पार्टीज के मध्य विवाद हो तब सक्षम अदालत में दावा पेश करना एक मात्र उपचार रहता है। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वर्तमान खातेदारी इन्द्राजों को धारा 136 एलआरएक्ट की समरी प्रोसीडिंग्स के माध्यम से प्रभावित पक्षकार को बिना सुने बदला गया है जो न्यायोचित नहीं रहता है। लिहाजा अपी अपीलांट स्वीकार योग्य रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है। उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 11.10.2022 निरस्त किया जाता है। रेस्पो. सक्षम अदालत में नियमित वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर